न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण सं0 2025/162

सिविल प्रकरण संख्याः– 41/2025

तारीख रजू 11.07.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. गोविन्द मित्तल पुत्र श्री कैलाश चन्द मित्तल (विक्रेता) मैसर्स गोविन्द किराना स्टोर, मैन बस स्टेण्ड मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर 322028
2. कैलाश चन्द पुत्र श्री रामसहाय मित्तल (प्रोपराईटर) मैसर्स गोविन्द किराना स्टोर, मैन बस स्टेण्ड मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर निवासी बनिया पाडा, मलारना डूंगर सवाई माधोपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः–

दिनांक **26.11.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 23.10.2024 को प्रातः 11.30 ए.एम. पर फर्म गोविन्द किराना स्टोर, मेन बस स्टैण्ड, मलारना डूंगर पर पहुंचे जो व्यक्ति मिला उसे उन्होंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम गोविन्द मित्तल पुत्र श्री कैलाश चन्द मित्तल फर्म का विक्रेता होना बताया तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति चाही गई, विक्रेता ने मौके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु **सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** 15 किलोग्राम का टीन रखा हुआ था। उक्त **सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** 15 किलोग्राम का टीन में गुणवत्ता/मिलावट होने का अनदेशा होने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने वास्ते नमूना जांच हेतु **सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** 15 किलोग्राम के टीन को खुलवाकर 1600 एम.एल. खरीदकर उनकी कीमत 240/– रुपये विक्रेता गोविन्द मित्तल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा मौके पर गवाहान रामकेश सैनी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता गोविन्द मित्तल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता गोविन्द मित्तल को देकर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने खरीदशुदा **सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड) 1600 एम.एल.** को चार प्लास्टिक की साफ–सुथरी बोतलों में बराबर–बराबर डालकर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-3501** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-3501** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1224 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4476/एक्ट/2024/4518 दिनांक 22.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** **Sub-Standard** प्रकृति का होना पाया गया है।

अभिहित अधिकारी द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह का स्थानान्तरण जिला जयपुर प्रथम हो जाने के फलस्वरूप पत्रावली अभिहित अधिकारी द्वारा इस प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर मूल पत्रावली मय पत्रांक एफएसएसए/2025/866 दिनांक 04.06.2025 के साथ सुपुर्द की गई । जिस पर उनके द्वारा मूल पत्रावली का अवलोकन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत की गई। जिस पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/924 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard & Contravenes खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण 1 व 2 की ओर से अभियुक्त संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किये बिना सीधे बहस सुनी जाकर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने **Sub-Standard खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 2 ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी उक्त तेल सवाई माधोपुर से खरीदकर विक्रय करता है किन्तु प्रार्थी के पास उक्त सरसो का तेल क्रय करने का बिल उपलब्ध नहीं है। अंत में प्रार्थी ने प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4476/एक्ट/2024/4518 दिनांक 22.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस गलती मानकर न्यूनतम शास्ति लगाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित करने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (रणथम्भौर ब्राण्ड)** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 15,000/–रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **26.11.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:11 IST
Reason: SelfAttested